85

न्यायालयः–श्रीमान अध्यक्ष महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प रीवा, जिला–रीवा (म0प्र0)

R5218-II/17 Rs.40/-

संजय अग्रवाल आयु 48 वर्ष आत्मज गोविन्द अग्रवाल
निवासी–वार्ड नं0 2 कोतमा, पो0 व थाना–कोतमा
तहसील–कोतमा, जिला–अनूपपुर (म0प्र0) ------निगरानीकर्ता

प्रति

(1) शैलेन्द्र सिंह बरगाही आत्मज लक्ष्मी सिंह बरगाही
निवासी–वार्ड नं0 5 कोतमा
(2) राजेन्द्र प्रसाद बरगाही आत्मज रामाधार बरगाही
निवासी–वार्ड नं0 5 कोतमा
दोनो पो0 आ0–कोतमा, थाना व तहसील–कोतमा
जिला–अनूपपुर (म0प्र0)
(3) म0प्र0 राज्य द्वारा हल्का पटवारी कोतमा
तहसील–कोतमा, जिला–अनूपपुर (म0प्र0) ------उत्तरवादीगण

अधिवक्ता श्री एस.पी. सोनी द्वारा पेश 26-5-17

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध–आदेश, न्यायालय–श्रीमान (बी0एम0 शर्मा) आयुक्त महोदय–शहडोल, सम्भाग शहडोल के न्यायालय राजस्व प्रकरण कमांक–75/अपील/2014–15, संजय अग्रवाल विरूद्ध शैलेन्द्र सिंह वगै0 मे पारित आदेश दिनांक 27/03/2017 के विरूद्ध

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959

मान्यवर

प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन हैः–

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य

1. यह कि संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है किः निगरानीकर्ता द्वारा राजस्व ग्राम–कोतमा स्थित भूमि ख0नं0 904 रकवा 0.085 हे0 एवं भूमि ख0नं0 905 रकवा 0.210 हे0 कुल 2 किता भूमि सम्पूर्ण रकवा 0.295 हे0 भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक–05/04/2006 के माध्यम से, उत्तरवादी कमांक–1 के स्वामित्व से कय कर कब्जा दखल प्राप्त किया था तथा उक्त रजिस्टर्ड, विकय पत्र के आधार पर, तहसीलदार कोतमा के न्यायालय मे नामान्तरण कार्यवाही किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसके अर्न्तगत तहसीलदार कोतमा के न्यायालय नामान्तरण प्रकरण कमांक 23/अ–6/2011–12 के माध्यम से दिनांक 15/12/2012 को आदेश पारित कर,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण कमांक R 5218-III/17 जिला- अनूपपुर

पक्षकार का नाम संजय अग्रवाल - शैलेन्द्र सिंह

(1)	(2)	(3)
27.12.17	प्रकरण प्रस्तुत । 2–आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 3– आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे। सदस्य	